क्या मैं सुनवाई में देरी कर सकता/सकती हूँ?
हाँ। यदि आपके पास कोई वाज़िब कारण है तो आप सुनवाई को "स्थगित" (विलंबित) कर सकते हैं। आपको ALJ को इसका कारण बताना होगा और ALJ तय करेगी कि यह पर्याप्त है या नहीं। वाज़िब कारणों के उदाहरण:

1. आप किसी आपातकालीन स्थिति में हैं।
2. आप एक वकील चाहते हैं और वकील प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं।
3. आप अपने वकील से नहीं मिल पाए हैं।
4. आपको सबूत जुटाने के लिए और समय चाहिए।

यदि संभव हो, तो आपको ALJ अनुभाग को लिखकर या कॉल करके सुनवाई की तिथि से पहले उसे आगे बढ़ाने के लिए कहना चाहिए। यदि ALJ सुनवाई से पहले देरी की अनुमति नहीं देते हैं, तो आपको अपनी सुनवाई में जाना चाहिए और व्यक्तिगत रूप से देरी का अनुरोध करना चाहिए। यदि आप स्वयं नहीं जा सकते हैं, तो आप किसी प्रतिनिधि को एक हस्ताक्षरित स्पष्टीकरण के साथ भेज सकते हैं कि आप क्यों उपस्थित नहीं हो सके। यदि ALJ विलंब के आपके अनुरोध को अस्वीकार करता है, तो ALJ सुनवाई करेगा।

क्या होगा यदि मैं सुनवाई में नहीं जा पाता/पाती हूँ?
यदि आप सुनवाई में नहीं जा पाते हैं, तो ALJ आपके बिना सुनवाई शुरू कर सकता है और मामले पर आपके पक्ष पर विचार किए बिना आपके मामले का निर्णय कर सकता है।

यदि आप किसी वाज़िब कारण से सुनवाई में जाने से चूक जाते हैं (उदाहरण के लिए, आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई आपातकालीन समस्या हो जाए या कोई कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं हो), तो आपको अपने मामले को फिर से खोलने के लिए DOL को आवेदन करना चाहिए, ताकि ALJ मामले से संबंधित आपके पक्ष को सुन सके। यदि ALJ को पता चलता है कि आपके पास वाज़िब कारण था, तो वह इसे फिर से खोल देगा।

क्या होगा यदि आपका पूर्व-नियोक्ता सुनवाई में नहीं जा पाता है?
यदि आप सुनवाई का अनुरोध करते हैं लेकिन आपका पूर्व नियोक्ता इसमें नहीं aa पाता है, तो ALJ सुनवाई कर सकता है और मामले के उनके पक्ष पर विचार किए बिना आपके मामले का फैसला कर सकता है। सुनवाई के बाद, आपका पूर्व नियोक्ता मामले को फिर से खोलने के लिए आवेदन कर सकता है। यदि ALJ को पता चलता है कि आपके पूर्व नियोक्ता के पास वाज़िब कारण था, तो वह इसे फिर से खोल देगा।

यदि आपका पूर्व नियोक्ता सुनवाई का अनुरोध करता है, लेकिन वह सुनवाई में नहीं आ पाता, तो ALJ स्वयं ही आपके पक्ष में मामले का निर्णय ले लेगा।

मुझे ALJ का निर्णय कब मिलेगा?
आपको तीन हफ़्तों के भीतर निर्णय मिल जाना चाहिए। यदि आपको निर्णय प्राप्त नहीं होता है, तो आपको DOL या ALJ अनुभाग को कॉल करना चाहिए जहाँ आपकी सुनवाई हुई थी (फोन नंबर सुनवाई के नोटिस पर दिया है)।

क्या होगा यदि मैं ALJ के निर्णय से असहमत होता/होती हूँ।
आप ALJ के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। एक अपील "उच्च" स्तर के लिए एक औपचारिक अनुरोध होती है, जिसे **अपील बोर्ड** कहा जाता है, जो ALJ का निर्णय सही है या नहीं, इसकी समीक्षा करने के लिए होता है। आप या तो 1) अपील बोर्ड को एक पूरा फ़ॉर्म जमा करके, या 2) DOL को एक पत्र भेजकर यह कहते हुए अपील का अनुरोध कर सकते हैं कि आप निर्णय की अपील करना चाहते हैं। आपके अनुरोध पर ALJ के निर्णय पर मुहर लगने की तिथि से 20 दिनों के भीतर डाकघर की मुहर लग जानी चाहिए।

आपका पूर्व नियोक्ता भी अपील कर सकता है। यदि आप सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए हों, तो आप ALJ के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं कर सकते, लेकिन आप यह अनुरोध कर सकते हैं कि ALJ आपके मामले को फिर से खोल दे।

तब क्या होता है जब निर्णय की अपील की जाती है?
अपील के लिए अपना अनुरोध सबमिट करने के बाद, अपील बोर्ड को आप एक लिखित बयान दे सकते हैं जिसमें इसका उल्लेख हो कि ALJ का निर्णय गलत क्यों है। कोई वकील या कोई और आपको अपना बयान तैयार करने में मदद कर सकता है। आपके पूर्व नियोक्ता को भी बयान सबमिट करने की अनुमति दी जाएगी।

अपना बयान सबमिट करने से पहले, आपको अपनी सुनवाई के प्रतिलेख की समीक्षा करनी चाहिए। (प्रतिलेख, सुनवाई में कही गई हर बात का लिखित रिकॉर्ड होता है।) आप "अपील की रसीद का नोटिस" प्राप्त करने के बाद और अपने बयान के देय होने से पहले अपील बोर्ड को लिखकर प्रतिलेख प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपील बोर्ड से पूछना चाहिए कि प्रतिलेख किस तिथि को तैयार होगा और क्या आप उस तिथि के बीस दिन बाद अपना बयान सबमिट कर सकते हैं या नहीं। यदि अपील बोर्ड को यह पता चलता है कि आपकी सुनवाई में कोई समस्या थी, तो वह आपके मामले को फिर से सुनवाई के लिए ALJ के पास भेज देगा या वह स्वयं सुनवाई करेगा। यदि अपील बोर्ड यह निश्चित करता है कि ALJ का निर्णय गलत था, तो वह उस निर्णय को पलट देगा।

क्या होगा यदि मैं जीत जाता/जाती हूँ, लेकिन मेरे पूर्व नियोक्ता अपील करते हैं?
आपका पूर्व नियोक्ता (या DOL) आपके पक्ष में लिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है। आप उस अपील के विरोध में एक लिखित बयान सबमिट कर सकते हैं। यदि आप कोई ऐसा बयान सबमिट करते हैं, तो आपके पास वही अधिकार होते हैं जो तब होते हैं जब आप सुनवाई में हार जाते हैं और स्वयं अपील करते हैं। उदाहरण के लिए, आप प्रतिलेख की समीक्षा कर सकते हैं और/या किसी वकील से परामर्श ले सकते हैं।

यदि अपील बोर्ड आपके पक्ष में निर्णय को पलट देता है, तो आपको अपने प्राप्त लाभों का फिर से वापस भुगतान करना पड़ सकता है।

WE ARE YOUR DOL

NEW YORK STATE | Department of Labor

बेरोज़गारी बीमा विभाग

सवाल और जवाब आपके बेरोज़गारी बीमा लाभों की सुनवाई के बारे में

इस पैम्फलेट में आपके बेरोज़गारी बीमा लाभ सुनवाई के बारे में बुनियादी सवालों के जवाब दिए गए हैं। इसमें उल्लेख है कि आपको सुनवाई की तैयारी कैसे करनी चाहिए और सुनवाई में आपके पास क्या-क्या अधिकार हैं।

Si le gustaría obtener una copia de este folleto en el español, comuníquese con el Central Telefónico de Reclamos o a la Sección del Juez de Derecho Administrativo (Administrative Law Judge Section) donde ocurrirá su audiencia

TC 424,2 (06/22)

सुनवाई का क्या मतलब है?
सुनवाई एक अनौपचारिक ट्रायल है जो यह निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता है कि आप बेरोजज़ारी बीमा ("UI") लाभों के हकदार हैं या नहीं। यह न्यूयॉर्क राज्य श्रम विभाग ("DOL") में एक प्रशासनिक कानून न्यायाधीश ("ALJ") द्वारा आयोजित किया जाता है।

प्रशासनिक कानून न्यायाधीश कौन होता है?
प्रशासनिक कानून न्यायाधीश, जिसे ALJ भी कहा जाता है, जो DOL के UI अपील बोर्ड का कर्मचारी है। ALJ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर मिले, प्रमाण प्रस्तुत कर सकें, और उचित निर्णय प्राप्त कर सकें। सुनवाई के बाद, ALJ इस बारे में निर्णय जारी करेगा कि आप UI लाभों के हकदार हैं या नहीं।

सुनवाई क्यों होती है?
आप अपने लाभों को न देने के DOL के फैसले को चुनौती देने के लिए सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं। DOL आपको "संकल्प के नोटिस" में डाक द्वारा निर्णय और इनकार के कारण के बारे में सूचित करेगा। यदि आप दिए गए कारण से असहमत हैं, तो आप DOL को एक पत्र भेजकर सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं। आपके अनुरोध पर संकल्प के नोटिस की तिथि से 30 दिनों के भीतर डाकघर की मुहर लग जानी चाहिए।

आपका पूर्व नियोक्ता आपके लाभ प्रदान करने के DOL के निर्णय पर आपत्ति जताने के लिए सुनवाई का अनुरोध कर सकता है। यह सुनवाई यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि आपके पूर्व नियोक्ता की आपत्ति सही है या नहीं।

सुनवाई में कौन-कौन आ सकता है?

- आप और ऐसा कोई व्यक्ति जो आपका मामला प्रस्तुत करने में आपकी सहायता कर सकता है। यह व्यक्ति एक वकील, एक अधिकृत एजेंट, संघ का प्रतिनिधि या केवल एक मित्र हो सकता है।
- आपका पूर्व नियोक्ता या उनके प्रतिनिधि (एक या अधिक), जिसमें कोई वकील शामिल हो सकता है।
- आपको और आपके पूर्व नियोक्ता दोनों को गवाह लाने का अधिकार है।
- DOL अपने निर्णय की रक्षा के लिए कोई प्रतिनिधि भेज सकता है।

क्या मैं सुनवाई से पहले अपनी फ़ाइल देख सकता/सकती हूँ?
हाँ। सुनवाई से पहले किसी भी समय, अपनी फ़ाइल देखने की व्यवस्था करने के लिए आप ALJ अनुभाग को कॉल कर सकते हैं।

मुझे सुनवाई में क्या लाना चाहिए?
आपको DOL के UI विभाग से प्राप्त कोई भी कागज़ात लाने चाहिए। आपको कोई भी ऐसे कागज़ात या अन्य साक्ष्य भी लाना चाहिए जो आपकी स्थिति का समर्थन करेंगे जैसे अनुबंध, पत्र, वेतन स्टब्स, मध्यस्थता निर्णय, सामूहिक सौदेबाजी समझौते, कर्मचारी हैंडबुक्स या मैनुअल, डॉक्टर के नोट्स और तस्वीरें।

सुनवाई के दौरान, आपको ALJ से इन कागज़ों को रिकॉर्ड में शामिल करने के लिए कहना चाहिए। आपके मामले का निर्णय करने में, ALJ केवल उन कागज़ातों या अन्य साक्ष्यों पर विचार कर सकता है जिनकी सुनवाई के दौरान पहचान की गई हो और दूसरे पक्ष को उनकी समीक्षा करने का मौका मिलने के बाद रिकॉर्ड में स्वीकार किया गया।

आपका पूर्व नियोक्ता भी ALJ से साक्ष्य स्वीकार करने के लिए कह सकता है और ALJ आपकी फ़ाइल के कागज़ातों को रिकॉर्ड में शामिल कर सकता है। ALJ द्वारा किसी भी साक्ष्य को रिकॉर्ड में शामिल करने से पहले, आपके पास इसकी समीक्षा करने का अधिकार है।

सुनवाई पर क्या होता है?
सुनवाई शुरू करने के लिए, ALJ पक्षों और सुनवाई में संबोधित किए जाने वाले मुद्दों की पहचान करेगा। फिर ALJ आपसे, आपके पूर्व नियोक्ता से, और किसी भी पक्ष के गवाहों से प्रश्न पूछ सकता है।

ALJ आपके पूर्व नियोक्ता का पक्ष पहले सुन सकता है। सभी गवाही के बयानों को टेप-रिकॉर्ड किया जाएगा और शपथ के तहत लिया जाएगा। कोई भी पक्ष कागज़ात या अन्य भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

आप, आपका पूर्व नियोक्ता, और आपके संबंधित वकील (एक या अधिक) या प्रतिनिधि (एक या अधिक) किसी भी गवाह से प्रश्न पूछ सकते हैं। इसे "क्रॉस-इग्ज़ैमनेशन" कहा जाता है। यदि आपको परेशानी होती है, तो आप ALJ से मदद मांग सकते हैं।

सुनवाई के दौरान, ALJ आपके मामले के बारे में उन नए प्रश्नों पर सोच विचार करने का निर्णय ले सकता है जो "संकल्प के नोटिस" या नियोक्ता की आपत्तियों में पहचाने नहीं गए हैं। यदि नए प्रश्नों पर सोच विचार किया जाता है, तो ALJ के पास उन पर विचार करने का एक वाज़िब कारण होना चाहिए और आपको वह स्पष्ट करना चाहिए। यदि आप किसी नए प्रश्न पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, तो आपको अपनी सुनवाई को तैयार करने के लिए "स्थगित" (देरी) करने का अधिकार है।

सुनवाई की समाप्ति पर, आप और आपका पूर्व नियोक्ता दोनों अपने तर्कों का सारांश देते हुए समापन वक्तव्य दे सकते हैं।

क्या मैं गवाहों को ला सकता/सकती हूँ?
हाँ। आप ऐसे किसी भी व्यक्ति (एक या अधिक) को सुनवाई में ला सकते हैं जो ALJ को आपकी स्थिति का समर्थन करने वाली जानकारी प्रदान कर सकता है। आपका पूर्व नियोक्ता भी गवाहों को ला सकता है। आप, आपका पूर्व नियोक्ता और ALJ, सभी गवाहों से पूछताछ कर सकेंगे।

क्या होगा यदि मैं वह साक्ष्य या गवाह नहीं ला पाता जिसकी मुझे ज़रूरत है?
यदि आपको किसी ऐसे दस्तावेज़, या अन्य साक्ष्य की ज़रूरत है, जो आपको अपना मामला साबित करने में मदद करेगा, लेकिन आप इसे उस व्यक्ति से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जिसके पास यह है, तो ALJ आपकी मदद कर सकता है। जिसके पास सबूत है ALJ उसे एक पेपर जारी करके उसे सबूत देने के लिए बाध्य कर सकता है जिसे “Subpoena” कहा जाता है। (Sa-pee-na). ALJ को आप सम्मन जारी करने के लिए कह सकते हैं और यदि वे आपका अनुरोध स्वीकार करते हैं, तो ALJ सुनवाई में देरी करेगा ताकि सम्मन दिया जा सके।

इसी प्रकार, यदि आपको अपनी सुनवाई के लिए किसी महत्वपूर्ण गवाह की आवश्यकता है, लेकिन गवाह मना कर देता है, तो आप ALJ को एक सम्मन जारी करके गवाह को पेश होने के लिए बाध्य करने के लिए कह सकते हैं। इससे एक बार फिर सुनवाई में देरी हो सकेगी।

यदि आपको कागज़ात या गवाह प्राप्त करने के लिए ALJ की सहायता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको इसे प्राप्त करने के लिए समय चाहिए, तो आप ALJ से और समय की मांग कर सकते हैं। ALJ आपको केवल तभी अधिक समय देगा जब आपके पास इसका अनुरोध करने का कोई वाज़िब कारण होगा।

यदि आपके पास ऐसा कोई गवाह है जो गवाही देना चाहता है, लेकिन किसी भी कारण से सुनवाई में नहीं आ सकता है, तो आप ALJ से कह सकते हैं कि वह गवाह को टेलीफोन द्वारा गवाही देने की अनुमति दे।

आपके पूर्व नियोक्ता और DOL के पास साक्ष्य या गवाहों को प्राप्त करने के समान अधिकार हैं।

क्या मैं अपनी मदद के लिए वकील या किसी और को ला सकता/सकती हूँ?
हाँ। आप अपनी मदद के लिए किसी वकील या किसी और को सुनवाई में ला सकते हैं। यदि आप किसी वकील को नियुक्त नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने स्थानीय कानूनी सहायता सोसायटी (Legal Aid Society) या कानूनी सेवा कार्यक्रम (Legal Services Program) के माध्यम से नि:शुल्क उसे प्राप्त कर सकते हैं। केवल एक वकील या कोई पंजीकृत एजेंट आपकी मदद करने के लिए शुल्क ले सकता है (और केवल तभी ले सकता है, यदि आप जीतते हैं)। कोई भी आपकी मदद कर सकता है जो शुल्क नहीं लेता हो। आपका पूर्व नियोक्ता भी वकील या एजेंट को ला सकता है।